



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE Pr. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

प्रशासन शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

फा. सं. I-22(21)प्रशा./जे.पी.आर./2016/

दिनांक: 15.05.2019

कार्यालय आदेश  
दिनांक : 05.2019

ऐसा ज्ञात हुआ है कि कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली(BAMS) में उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है।

अथवा

उनका स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर होने एवं कार्यभारमुक्त होने पर या तो बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से 'Transfer Out' या फिर नये स्थान पर कार्यग्रहण उपरान्त 'Transfer In' नहीं करवाया गया है, जिसके कारण उनकी उपस्थिति उनके कार्यस्थल पर दर्ज नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त संदर्भ में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अभी तक बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपना नामांकन नहीं करवाया है या स्थानान्तरण की अवस्था में 'Transfer Out' या 'Transfer In' नहीं करवाया है, तुरन्त प्रभाव से आधार कार्ड की प्रति के साथ आयुक्तालय की कम्प्यूटर/प्रशासन शाखा में सम्पर्क कर अपना नामांकन करवाकर बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।

इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए अधिकारी/कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

उक्त आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

54 -

(बी. एल. मीना)

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
3. अपर आयुक्त(क.अप)/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत./तक.), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
4. उप/सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क संभाग-ए से आई, जयपुर/जे से के, अजमेर को इस निर्देश के साथ जारी किया जा रहा है कि वे संभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की मैपिंग सुनिश्चित करें।
5. शाखाप्रभारी....., सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
6. अधीक्षक(कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

54 -  
(बी. एल. मीना)  
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)